अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. रामफूल साहू पुत्र श्री लच्छीराम साहू
2. श्रीमती सीता बाई पत्नी श्री रामफूल साहू

निवासी मकान नम्बर 89, पशुपति नाथ कालोनी, शास्त्री नगर, थाना भट्टा बस्ती, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र रामफूल साहू

   निवासी मकान नम्बर 89, पशुपति नाथ कालोनी, शास्त्री नगर, थाना भट्टा बस्ती जयपुर।
2. बुद्विप्रकाश पुत्र रामफूल साहू

   निवासी मकान नम्बर 92, पशुपति नाथ कालोनी, शास्त्री नगर, थाना भट्टा बस्ती जयपुर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र रामफूल साहू

   निवासी मकान नम्बर 44 बी, श्याम विहार, गिरधारीपुरा, पुलिस थाना करधनी, जयपुर।
4. कमलेश कुमार पुत्र रामफूल साहू

   निवासी मकान नम्बर 36 बी, श्याम विहार, गिरधारीपुरा, पुलिस थाना करधनी, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 06.10.2022 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 125/2021 ब उनवानी रामफूल साहू बनाम हरिमोहन व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 10.01.2023**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

संख्या 125/2021 व उनवानी रामफूल साहू बनाम हरिमोहन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 के प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 5 व 23 तथा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के नियम नियम 4(1) के तहत पेश कर निवेदन किया था कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण वृद्व, बीमार एवं वरिष्ठ नागरिक है तथा स्वयं की आय से बनाये गये मकान नम्बर 89, पशुपति नाथ कालोनी, शास्त्री नगर, थाना भट्टा बस्ती जयपुर में निवास करते है। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पुत्र है। जिनमें से अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 अपनी पत्नी व पुत्र सहित प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के साथ ही उक्त पते पर निवास करते है । अप्रार्थी/प्रत्यर्थी सख्या 2 ता 4 अपने–अपने पृथक आवास पर निवास करते है। प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण उक्त मकान को हड़पने की मन्शा से अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसका परिवार प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को आये दिन ताने देते रहते है, उन्हें वृद्वा आश्रम भेज कर सम्पूर्ण मकान हड़प करने की धमकी देते है व प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा व मारपीट करते है। अपीलार्थीगण को झूंठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते है। दिनांक 8.09.2021 को अपीलार्थीगण के साथ गाली गलौच मारपीट व लडाई झगड़ा कर घर से निकल जाने की धमकी दी और कहा कि यह मकान हमारे नाम कर दो नहीं तो तुम्हारे कमरों के ताला लगा देंगे और जबरन अपीलार्थीगण के मकान का सामान निकाल कर अपना सामान रखने लगे जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी के विरूद्व पुलिस थाने में सूचना देने पर अप्रार्थी–प्रत्यर्थी संख्या 1 को धारा 107, 116 व 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय ए सी पी जयपुर शहर उत्तर द्वारा पाबन्द किया गया । इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसका परिवार बाज नहीं आ रहे व अपीलार्थीगण का जीना हराम कर रखा है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार की भरण पोषण राशि नहीं दी जाती है ना ही अपीलार्थीगण की सेवा सुश्रषा की जाती है। यहां तक कि बीमारी के ईलाज, भात, मायरा तथा विभिन्न प्रकार के खर्च भी अपीलार्थीगण के द्वारा स्वयं ही किये जाते है। अन्य खर्चो के चलते अपीलार्थीगण को कर्जा लेना पड़ा है। अतः अपीलार्थीगण का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के रिहायशी मकान नम्बर 89 पशुपति कालोनी शास्त्री नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बल पूर्वक किये गये कब्जे को खाली करवाया जाकर प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर अपीलार्थीगण को कब्जा दिलाया जावे तथा प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थीगण से भरण पोषण की राशि 20,000/–रूपये प्रति माह दिलवाये जावे एवं अपीलार्थीगण के जानमाल की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

व सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने बाबत अधीनस्थ अधिकरण से अनुतोष चाहा गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने केवल भरण पोषण राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 से 2000/–रूपये दिला जाने का आदेश पारित कर दिया तथा अपीलार्थीगण को उक्त मकान मे शान्ती पूर्वक रहन सहन करने व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करने, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने एवं शान्तिपूर्ण निवास करने देने, प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त राशि अदा नहीं किये जाने पर नियमानुसार ब्याज अदा करने का आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी सख्या 1 लगायत 4 द्वारा आये दिन परेशान किया जा रहा है। मकान खाली नहीं किया जा रहा है। जबकि प्रत्यर्थीगण प्रत्येक पुत्र के पास स्वयं के निवास करने के लिए मकान बने हुये है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण सन्नीपाल बनाम स्टेट ऑफ इनसीटी ऑफ देहली में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि वरिष्ठ नागरिक को इच्छा के विपरीत उसकी अचल सम्पत्ति में किसी को आवास करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अपीलार्थी जो कि वरिष्ठ नागरिक है प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के साथ मिसविहेयर इलट्रिटमेंट जैसे कृत्य किये है । ऐसी सूरत में उन्हें वरिष्ठ नागरिक की अचल सम्पत्ति में रहने का कोई अधिकार नहीं माना गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मोतीबेन जडावबाई मालानी एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट का भी विवेचन किया गया और उक्त न्यायिक दृष्टान्त पर रिलाई किया गया है एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्री कृष्णाचन्द जी एवं हरविद्र कौर बेवा एवं स्टैट ऑफ हिमालच प्रदेश बनाम सतपाल सैनी के प्रकरणों मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त अधिनियम का उद्वेश्य विधायिका ने सामाजिक कल्याण एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 06.10.2022 को आंशिक संशोधित किया जावे तथा अपीलार्थीगण के मकान मे रहे प्रत्यर्थीगण को बाहार निकाल कर अपीलार्थीगण के रहने की व्यवस्था की जाने की आदेश फरमावें तथा भरण पोषण की राशि 2000/–रूपये से बढा कर 20,000/– किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उक्त मकान सर्व प्रथम प्रत्यर्थी संख्या 1 हरिमोहन के नाम आवंटित हुआ था। जिसे अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण 2, 3 व 4 ने उक्त प्लाट को सामलाती का प्लाट करने के उद्वेश्य से प्रत्यर्थी संख्या 1 से अपीलार्थी संख्या 2 के नाम सामलाती इकरारनामा करवा दिया गया । प्रत्यर्थी 2 व 3 के कहे में आ कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार को घर से निकालने की नियत से कई बार झूंठी रिपोर्ट कर चुके है और यह भरण पोषण का परिवाद पत्र भी केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 परेशान होकर मकान खाली करके चला जाए। अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के भरण पोषण राशि की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी संख्या 1 आज भी कुल्फी, गजक एवं मूंगफली का व्यवसाय करता है जिससे इनकी मासिक आय लगभग 20 से 30 हजार रूपये की हो जाती है। उक्त मकान की फस्ट फ्लोर पर अपीलार्थीगण शान्तिपूर्वक रहन सहन व उपयोग

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपभोग करते आ रहे है। फस्ट फ्लोर में एक कमरा, एक किचन, एक होल व लेट बाथ बना हुआ है, जिसे अपीलार्थीगण अवास के रूप में उपयोग उपभोग करते है तथा ग्राउण्ड फ्लोर में दो कमरे व एक होल है जिसके एक कमरा व होल को अपीलार्थीगण ने अपने व्यवसायिक कार्य में काम लेते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ग्राउण्ड फ्लोर में केवल एक कमरे में निवास करता है। वास्तविकता तो यह है कि अपीलार्थिया अवस्था के कारण चिडचिडे स्वभाव के हो गये है जिस कारण प्रत्यर्थीगण 2, 3 व 4 की पत्नियों से झगड़ा करके ही उनको घर से निकाला गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 सभी भाई बहनों से बड़ा है। इसलिए यह सब सहन करके भी अपीलार्थीगण को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड सकता । आज प्रत्यर्थीगण 2 व 3 के कहे मे आकर कर मुझे व मेरे परिवार को घर से निकालने के लिये यह सारे प्रयास कर रहे है। अपीलार्थीगण के नाम एक प्लाट जो 115 वर्गगज का ग्राम लालचन्दपुरा में पूर्ण निर्मित है, जो आज भी खाली हे। अपीलार्थीगण के पास चल अचल सम्पत्ति प्रर्याप्त है और वृद्वावस्था पेन्शन 750–750 रूपये भी दोनों को मिलती है एवं खाद्य सुरक्षा से प्रति माह 10 किलो गेहूं भी नि शुल्क मिलते है और खाद्य सुरक्षा के तहत चिरंजीवी स्वास्थ बीमा का लाभ भी मिलता है। इसलिए अतिरिक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अपील केवल और केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रथम, अपीलार्थी ने स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 89 पशुपति नाथ कालोनी शास्त्री नगर थाना भट्टा बस्ती जयपुर से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 23 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। धारा 23 के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तो में अन्तरण शब्द में केवल सम्पत्ति के पूर्ण अन्तरण को ही अन्तरण नहीं माना अपितु अन्तरण मे कब्जे के अन्तरण को भी माना है। प्रत्यर्थीगण को सम्पत्ति से बेदखल किये जाने वाले बिन्दू पर उभय पक्ष को सुन कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं इस सम्बन्ध में जारी न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन करते हुये तदनुसार नये सिरे से आदेश पारित किया जाना वाजिब समझते है। द्वितीय, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण हेतु आदेश की धारा 9 (2) इस प्रकार है– The maximum Maintenance allowance which may be ordered by such Tribunal shall be such as may be prescribed by the state Government which shall not exceed ten thousand rupees per month. अर्थात भरण पोषण की राशि प्रतिमाह दस हजार से अधिक नहीं होगी। इसके तहत अधिनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक से 2000–2000 रूपये कुल 8000/– रूपये दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

8. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण को सम्पत्ति से बेदखली के बिन्दू पर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर उपरोक्त विवेचनानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करे।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16 (7) के तहत उभयपक्ष को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर